[illegible] के धारा 128 L.R. Act के अन्तर्गत [illegible] vs मोहनलाल तथा अन्य [illegible] पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस अग्रसरित पेश की गयी है किन्तु सम्मन और वारंट वास्ते तलबी विपक्षीगण हेतु पेश नहीं किये गये हैं। विपक्षीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस पेश करें। पत्रावली सम्मन पेश किये जाने हेतु दिनांक 09/04/2018 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

09/04/2018 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी नियमानुसार किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को =500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस बाबत विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ पत्र भेजा जावे। पत्रावली पालना में 24/04/2018 को पेश हो।

676
(पत्र जारी)

5-06-2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर जनोपयोगी पर रखी गयी। प्रा० अ० निरीक्षक वृत्त डोसई द्वारा पत्थरगढ़ी की पालना रिपोर्ट पेश की गयी, जो कि शामिल नस्ती की गयी। पत्रावली में अब कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नीचे से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official